अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 180, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 7 अगस्त, 2012

No. 180, Port Blair, Tuesday, August 7, 2012

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

शुद्धि-पत्र

अ. तथा नि. द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 (1994 की सं.7) के धारा 8 (2) के अन्तर्गत पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान के अनुमोदन को अधिसूचित करने हेतु सं.34/2012/फा.सं.25. 11/2009.लो.नि.वि. द्वारा अ. तथा नि. असाधारण राजपत्र (दिनांक 1 मार्च, 2012 की सं.35) में एक अधिसूचना प्रकाशित किया गया था । रिपोर्ट शीर्षक पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2030 खण्ड-II को निम्नलिखित शुद्धियों सहित पढ़ा जाएगा:-

क.सं.	पृष्ठ सं.	उपबंध सं.	पैरा/कम/लाईन/टीप/मानचित्र तालिका सं.	विवरण
1.	81	5.4.4 क (iv)	तालिका ग - गालियारे/गली/सड़कों की चौड़ाई के क.सं. 5 के अन्तर्गत स्तंभ सं. 2	'सड़क की लंबाई 60 मी. से अधिक न होती हो' को **"सड़क 400 मी. से अधिक नहीं होगी"** पढ़ा जाएगा ।
2.	68	5.3.6 क	सेटबेक अपेक्षाएँ की प्रथम पैरा	**'प्लॉट की'** को 'किनारे' शब्द के बाद पैरा के अंत लाईन में जोड़ा जाएगा ।
3.	73	5.3.6 ख	टीप-8 पार्किंग मानक एवं मानदण्ड	भूमिगत तल में कार पार्किंग की अनुमति पोर्ट ब्लेयर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष मंजूरी के तहत मामले दर मामले के आधार पर दी जा सकती है, के स्थान पर **"भूमिगत तल में वाहन पार्किंग पोर्ट ब्लेयर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष मंजूरी के तहत मामले दर मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकती है । भूमिगत तल में उपलब्ध पार्किंग स्थान को फर्श क्षेत्र अनुपात गणना से अलग रखा गया है"।** होगी
4.	73	5.3.6 ख	टीप-9-पार्किंग मानक एवं मानदण्ड	निम्नलिखित वाक्यों को 'उपरोक्त' शब्द के बाद टीप 9 के अंत में जोड़ा जाएगा । **"स्टिल्ट तल में उपलब्ध पार्किंग स्थानों को फर्श क्षेत्र अनुपात गणना से अलग रखा गया है"।**
5.	113	6.5.1 क.स. 3	शक्तियाँ एवं प्रकार्य शीर्षक के अन्तर्गत पैरा 2 क.सं. (3) पोर्ट ब्लेयर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यों से संबंधित	भवन नक्शों एवं अभिन्यासों का अनुमोदन के स्थान पर **"विशेष स्वीकृति श्रेणी के तहत नियोजन अनुमति एवं अभिन्यास अनुमोदन जारी करना"** होगा

6	49	5.1	तकनीकी शब्द एवं परिभाषा के अन्तर्गत क. सं. 8	अंतिम वाक्य **"हमें यह जोड़ना पड़ेगा कि पो.ब्ले. नि.वि.प्रा. द्वारा विशेष मंजूरी के रूप में मामले पर मामले के आधार पर वे अनुमत्य है।**
7	115	6.5.5 (ग)	पैरा 3 प्रथम लाईन	"उप-विभाजन" शब्द के स्थान पर **"प्लॉटों के लिए अभिन्यास" होगा ।**
8	105	6.3.2	तालिका 6.3.2 (ख) के अंतर्गत पाद टीप सं. 1 व 2	तीन स्थानों में प्रकट 'कुर्सी' शब्द के स्थान पर 'फर्श' होगा ।
9	72	5.3.6 (ख)	तालिका के नीचे उपबंध 5.3.6 में पाद टीप सं. 1 व 2	तीन स्थानों में प्रकट 'कुर्सी' शब्द के स्थान पर 'फर्श' होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त मास्टर प्लान के अनुमोदन हेतु राजपत्र अधिसूचना सं. 34/2012/फा.सं. 25-1/2009-लो.नि.वि. द्वारा अधिसूचना हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान रिपोर्ट शीर्षक 'पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान- 2030(खण्ड-II)' में समाविष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें/प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के नाम एवं उनके आदेश द्वारा,

ह./-
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि/श.वि)
(फा. सं. 3/224/2012.यू.डी.)